भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 116

सोमवार, 11 फरवरी, 2019/22 माघ, 1940 (शक)

बाल श्रम

***116. प्रो. रिचर्ड हे:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस तथ्य के दृष्टिगत कि बाल श्रम का पूर्णतया उन्मूलन नहीं किया जा सका है, सरकार ने इस विकट समस्या को समाप्त करने हेतु विभिन्न राज्यों को संभारतंत्र एवं मौद्रिक सहायता प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम को विभिन्न राज्यों में कितने प्रभावी तरीके से लागू किया गया है तथा यह जानकारी है कि देश के अनेक भागों में बाल श्रम नियोजन अब भी विद्यमान है तथा कानूनी कार्रवाई एवं दोषसिद्धि का आंकड़ा अधिकांश राज्यों में अत्यल्प है और केवल इकाई में है;

(ग) निरीक्षण अधिकारियों द्वारा सूचित उल्लंघनों के मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(घ) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों की संख्या तथा बचाए गए तथा विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में पंजीकृत बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*** *****

बाल श्रम के संबंध में प्रोफेसर रिचर्ड हे द्वारा दिनांक 11.02.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 116 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): बाल श्रम विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समस्याओं जैसे गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन तथा निरक्षरता की देन है। सरकार बाल श्रम के उन्मूलन हेतु बहु-आयामी कार्यनीति का पालन कर रही है। इसमें सामाजिक आर्थिक विकास की अन्य स्कीमों के साथ विलय सहित सांविधिक एवं विधायी उपाय, पुनर्वास और सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा सम्मिलित हैं।

बाल श्रम अधिनियम में संशोधन के माध्यम से विधायी ढ़ांचे को सशक्त करने के बाद, सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन नियम, 2017 बनाया है जिसमें अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों और जिला प्राधिकरणों के कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख है। सरकार ने प्रशिक्षकों, पेशेवरों तथा प्रवर्तन एवं निगरानीकर्ता एजेन्सियों के आशु परिकलक (रेडी रेकनर) के रूप में मानक परिचालन कार्य प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार की है।

सरकार बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। एनसीएलपी स्कीम के अंतर्गत, 9-14 वर्ष के आयु समूह के काम से मुक्त कराए/छुड़ाए गए बच्चों को एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित किया जाता है, जहाँ उन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाए जाने से पहले समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखरेख, आदि प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों का प्रभावी प्रवर्तन और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक अलग ऑनलाइन पोर्टल: बाल श्रम मुक्ति के प्रभावी प्रवर्तन हेतु मंच (पेन्सिल) विकसित किया गया है तथा संचालन में है।

पिछले चार वर्षों के दौरान एनसीएलपी स्कीम के अंतर्गत जारी राज्यवार और वर्षवार अनुदान सहायता **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) और (ग): बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में किसी भी व्यवसाय और प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा जोखिमपूर्ण व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 से 18 वर्ष के आयु समूह के किशोरों के काम या नियोजन पर पूर्ण निषेध का प्रावधान है। इस संशोधन में अधिनियम का उल्लंघन करने पर नियोक्ताओं के विरुद्ध कड़े दण्ड का भी प्रावधान है तथा अपराध को संज्ञेय बनाया गया है। राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों से

प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले चार वर्षों के दौरान बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत पता लगाए गए उल्लंघनों, आरंभ किए गए अभियोजनों तथा की गई अपराध-सिद्धियों की राज्यवार संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

(घ): एनसीएलपी स्कीम केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम है। स्कीम के अंतर्गत, परियोजना के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने हेतु कलेक्टर/जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिला स्तर पर परियोजना सोसायटियां गठित की जाती हैं। एनसीएलपी स्कीम के अंतर्गत, बच्चों को काम से छुड़ाया जाता है और विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में दाखिल कर दिया जाता है, जहां उन्हें समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और अंतत: औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्याधारा में लाया जाता है। इसके अलावा, स्कीम के अंतर्गत, मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बाल श्रम के प्रकोप के विरुद्ध जागरुकता जागरण अभियानों का वित्त-पोषण करता है और बाल श्रम कानूनों का प्रवर्तन करता है।

जिला परियोजना सोसायटियों से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत काम से मुक्त कराए/छुड़ाए गए, पुनर्वास कराए गए और मुख्यधारा में लाए गए बाल श्रमिकों की संख्या **अनुबंध-III** में दी गई है।

****

अनुबंध-I

'बाल श्रम' के संबंध में प्रोफेसर रिचर्ड हे, माननीय सांसद द्वारा दिनांक 11.02.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 116 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पिछले चार वर्ष के दौरान एनसीएलपी स्कीम के अंतर्गत जारी राज्यवार अनुदान:

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	**राज्य का नाम**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
1.	आंध्र प्रदेश *	143.33	196.58	213.01	298.12
2.	असम	471.64	807.97	257.30	460.30
3.	बिहार	1071.82	948.42	168.92	0
4.	छत्तीसगढ़	432.53	26.00	0	4.00
5.	गुजरात	7.0	8.25	33.78	112.26
6.	हरियाणा	218.71	161.79	412.18	123.13
7.	जम्मू और कश्मीर	62.97	47.13	61.04	0
8.	झारखंड	406.78	375.97	543.72	280.14
9.	कर्नाटक	204.60	212.08	132.26	100.53
10.	मध्य प्रदेश	768.71	701.12	878.68	687.37
11.	महाराष्ट्र	830.08	1017.66	1192.54	1338.84
12.	नागालैंड	151.17	131.45	192.69	74.07
13.	ओडिशा	355.31	290.91	8.00	106.40
14.	पंजाब	350.24	256.63	325.14	322.33
15.	राजस्थान	269.25	223.70	138.89	179.06
16.	तमिलनाडु	731.14	643.08	1015.07	749.67
17.	तेलंगाना	521.60	547.10	475.76	323.29
18.	उत्तर प्रदेश	1103.72	430.07	1333.25	1176.15
19.	उत्तराखंड	9.00	4.00	12.34	36.62
20.	पश्चिम बंगाल	2100.87	2269.34	1916.85	2227.20

अनुबंध-II

'बाल श्रम' के संबंध में प्रोफेसर रिचर्ड हे, माननीय सांसद द्वारा दिनांक 11.02.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 116 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उल्लंघनों की संख्या				अभियोजनों की संख्या				अपराध सिद्धियों की संख्या			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	9	2	-	-	1	2	-	-	2	13	-	-
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
असम	71	46	-	-	44	15	-	-	0	0	-	-
बिहार	NA	162	-	-	722	107	-	-	NA	7	-	-
चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	22	17	13	1	8	9	8	-	8	11	9	-
छत्तीसगढ़	19	10	16	-	62	8	57	-	-	7	4	-
दादरा और नागर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	100	53	45	17	-	-	-	-	-	-	-	-
गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात	142	79	68	133	100	76	41	70	0	0	5	0
हरियाणा	72	24	18	16	44	14	7	3	28	24	2	1
हिमाचल प्रदेश	2	4	1	-	7	7	1	-	6	4	4	-
जम्मू और कश्मीर	17	10	8	4	14	12	5	3	20	10	5	0
झारखंड	25	266	122	-	16	234	86	-	0	0	6	-

कर्नाटक	63	77	162	143	65	70	151	84	18	15	53	19
केरल	3	4	3	4	2	3	2	3	1	2	0	1
लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	182	64	48	-	182	64	48	-	71	26	9	-
महाराष्ट्र	42	310	-	-	26	62	-	-	0	0	-	-
मणिपुर	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
मेघालय	8	5	2	-	8	5	2	-	13	2	1	-
मिजोरम	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
नागालैंड	0	21	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-
ओडिशा	2430	1762	325	-	250	131	64	-	17	1	-	-
पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
पंजाब	333	307	188	70	333	307	188	70	265	247	184	167
राजस्थान	55	78	7	8	12	12	-	-	9	9	17	1
सिक्किम	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
तमिलनाडु	66	29	43	24	26	6	2	-	17	20	8	5
त्रिपुरा	2	6	2	14	2	4	2	9	1	1	0	1
उत्तर प्रदेश	206	409	540	261	206	409	540	261	237	273	361	381
उत्तराखंड	74	7	5	11	17	7	-	-	4	-	-	-
पश्चिम बंगाल	61	-	-	-	22	-	-	-	0	-	-	-
तेलंगाना	315	241	75	116	312	166	72	41	31	5	27	4
कुल	**4319**	**3993**	**1691**	**823**	**2481**	**1730**	**1276**	**545**	**748**	**677**	**695**	**581**

अनुबंध-III

'बाल श्रम' के संबंध में प्रोफेसर रिचर्ड हे, माननीय सांसद द्वारा दिनांक 11.02.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 116 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम के अंतर्गत काम से मुक्त कराए/छुड़ाए गए, पुनर्वास कराए गए और मुख्यधारा में लाए गए बाल श्रमिकों की राज्यवार संख्या:

क्रम संख्या	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	आंध्र प्रदेश	346	716	814	203
2	असम	60	9693	434	915
3	बिहार	14028	2656	0	2800
4	छत्तीसगढ़	10173	0	0	0
5	गुजरात	892	0	0	187
6	हरियाणा	2583	0	40	0
7	जम्मू और कश्मीर	0	10	0	0
8	झारखंड	2989	3450	334	2014
9	कर्नाटक	2519	1984	681	679
10	मध्य प्रदेश	7879	7472	4442	11400
11	महाराष्ट्र	3804	2177	1692	5250
12	ओडिशा	21315	1900	0	0
13	पंजाब	290	880	592	994
14	राजस्थान	3349	8476	630	105
15	तमिलनाडु	4492	4089	2850	2855
16	तेलंगाना	2691	1810	1431	2137
17	उत्तर प्रदेश	16277	0	3066	0
18	पश्चिम बंगाल	22689	13763	13973	17899
19	उत्तराखंड	145	0	0	0
20	नागालैंड	436	0	0	197
	कुल	**116957**	**59076**	**30979**	**47635**

******